

परिशिष्ट

(देखिय नियम-६)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-२ के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-१

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण				
A.	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण—	<u>पीपनाकोला-रणकुना-गोहाली मोटर मार्ग का निर्माण (14.500 किमी.), 4.185 है।</u>			
B.	1.50.000 रुकेल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप	संलग्न है।			
C.	परियोजना की लागत—	3.0.1...4.2.लाख।			
D.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य—	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु।			
E.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)—	संलग्न है।			
F.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं—	निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।			
2	कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण—	आपेक्षित वनभूमि	राज्य वन भूमि	वन पंचायत भूमि	कुल भूमि
		—	0.405 है।	3.780 है।	4.185 है।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है—	आवश्यकता नहीं।			
A.	परिवारों की संख्या—	आवश्यकता नहीं।			
B.	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या—	आवश्यकता नहीं।			
C.	पुर्ववास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)—	आवश्यकता नहीं।			
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हाँ/नहीं)	नहीं।			
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जायें)	सभी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है। बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है।			
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।			

दिनांक—

X

स्थान— रानीखेत


 (सतीश चन्द्र आर्य)
 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत